न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/225 दायर दिनांक 02.08.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. कल्याण सिहं पुत्र श्री पन्ने सिहं जाति राजपूत निवासी पायली तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. मेघदास उर्फ मेघसिंह पुत्र पन्नेसिहं गुरू चन्द्रदास 2. सोना कंवर उर्फ सोना देवी पत्नी समंदरदास उर्फ समुदरसिहं जातिगण राजूपत निवासी वार्ड न. 21 लक्ष्मणगढ तह. लक्ष्मणगढ। 3. तहसीलदार डीडवाना।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88

उपस्थित :—

1. श्री मो0 इकबाल अधिवक्ता वादी
2. श्री गनी मोहम्मद अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 व 02

—:: निर्णय ::—

दिनांक 15.09.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व0 पन्नेसिहं पुत्र मंगलसिहं की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत ख. न. 61 रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद ग्राम पायली पटवार हल्का सुदासन तह डीडवाना अवस्थित रहे है। उक्त खेत में वादी के पिता का उनके भाई धनसिंह के साथ 1/2.1/2 हक व हिस्सा संयुक्त कब्जा काश्त रहा है।

स्व0 पन्नेसिहं के तीन पुत्र वादी प्रतिवादी सं0 2 के पति समुदर सिहं व प्रतिवादी सं0 1 मेघसिहं हुए। वादी के पिता का सवर्गवास आज से करीब 60 वर्ष पहले हो चुका है। उस समय वादी बडा पुत्र था तथा प्रतिवादी सं0 1 मेघसिहं करीब 7 वर्ष का एवम्र समदरसिहं करीब 10 वर्ष का था। प्रतिवादी सं0 1 व स्व समदरसिहं उर्फ समुदरदास अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात अपनी बाल्यकाल अवस्था में गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए गुरू चन्द्रदास के साथ रहने हेतु लक्ष्मणगढ चले गये थे तब से लेकर आज तक वह वहीं रहे तथा स्व0 समदरसिहं उर्फ समदरदास का स्वर्गवास भी वहीं हुआ। प्रतिवादी सं0 1 सदैव अविवाहित रहे तथा स्व0 समदरसिहं उर्फ समदरदास ने प्रतिवादी सं0 2 जो विधवा व एक पुत्र नारायणदास की माता जी से विवाह कर लिया था तथा उनके कोई जायदा सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। वादी उक्त खेताय को 1/2 खातेदारी पर पिता के स्वर्गवास के पश्चात से अकेला कब्जा काश्त करता आ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/225
दायर दिनांक 02.08.2017 निर्णय 15.09.2017
कल्याणसिंह बनाम मेघदास वगैरा।

रहा है। प्रतिवादीगण का कभी उक्त जायगा पर कब्जा काश्त नहीं रहा तथा बाल्यकाल अवस्था में से ही वादी के भाई प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 के पति हर प्रकार की मोह माया से दुर रहकर एकाकीं जीवन सन्यासी व्यापन करने लगे थे तथा अपना नाम समदरसिंह के स्थान पर मेघदास तथा अपने गुरू चन्द्रदास का नाम पिता के रूप में लिखने लग गये थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में कई बार उक्त खेत की भूमि वादी के हक व कब्जे की होना सदैव कहते रहें। क्योकिं इस दौरान वादी के भाई समदर सिहं उर्फ समदर दास का स्वर्गवास हो गया इस कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। उक्त खेत की भूमि के 1/2 भाग पर सदैव वादी ही काश्त व काबिज रहा है। प्रतिवादी सं0 1 व भाई समदर सिहं सदैव गुरू चन्द्रदास के साथ रहे तथा स्थायी रूप से लक्ष्मणगढ में सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे है।

प्रार्थना वादी है कि खेत खसरा न. 61 रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा की भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पति स्व0 समदरसिहं उर्फ समदरदास द्वारा मौखिक रूप से हकतर्क कर देने व वादी का अकेले लगातार कब्जा काश्त होने से उक्त खेत की 1/2 खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी सं0 1 मेघसिहं उर्फ मेघदास व समदरसिहं उर्फ समदरदास का नाम हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन न्यायालय में हाजिर होने बाबत तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 03 बावजुद तामिल के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 ने राजीनामा पेश किया जो निम्न प्रकार है:– वादी व प्रतिवादी सं 1 व समदरसिहं उर्फ समदरदास के पिता पन्ने सिहं की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत ख.न. 61 रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा रहे है। जिसमें पन्ने सिहं का 1/2 हक व हिस्सा रहा है। प्रतिवादी सं 1 मेघसिह व समदर सिहं अपनी बाल्यकाल अवस्था में सन्यासी बनकर अपने गुरू चन्द्रदास के साथ रहने हेतु लक्ष्मणगढ चले गए थे। समदरसिहं उर्फ समदरदास ने प्रतिवादी सं 2 जो विधवा व एक पुत्र नारायणदास की माता से विवाह किया था। प्रतिवादी सं 2 के समदरसिहं से कोई सन्तान उत्पन्न नही हुई। समदरसिहं उर्फ समदरदास का दि. 25.05.17 को लक्ष्मणगढ में स्वर्गवास हो चुका है। हमारे पिता स्वं पन्नेसिहं के स्वर्गवास के पश्चात खेत ख. न. 61 रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा की 1/2 खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं 1 मेघासिहं व प्रतिवादी सं 2 के पति समदरसिहं के नाम खातेदारी में दर्ज हो गए। प्रतिवादी सं 1 व प्रतिवादी सं 2 के पति बाल्यकाल अवस्था से गृहस्थी जीवन त्यागकर सन्यासी बनकर अपने गुरू चन्द्रदास की शरण में रहे तथा उक्त खेत पर सदैव कब्जा काश्त वादी का ही रहा प्रतिवादी ने अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से की भूमि वर्षो पहले वादी के हक में मौखिक रूप से तर्क कर दी थी तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी को कोई लेना देना अथवा हक नहीं है। प्रतिवादी अपनी स्वेच्छा से बीना किसी दबाव से उक्त भूमि अपने भाई वादी को दे दी है। उक्त भूमि में अपना कोई हक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/225
दायर दिनांक 02.08.2017 निर्णय 15.09.2017
कल्याणसिंह बनाम मेघदास वगैरा।

अथवा क्लेम नहीं रखना चाहते है। ख. न. 61 रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा की 1/2 हिस्से की भूमि वादी के नाम कर दी जावे तो प्रतिवादी को कोई उजर आपत्ति नही है, तथा पुर्ण रूप से सहमत है। पक्षकारान को राजीनामा की इबारत पढकर सुनाई व समझाई गई। जिसे बिना किसी लालच व दबाव के सही होना स्वीकार किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान जरिये राजीनामा दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

हस्व दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद पायली के खसरा सं0 61 रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा में से 1/2 भाग की खातेदारी वादी कल्याणसिंह के नाम घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी सं0 01 मेघदास उर्फ मेघसिंह व प्रतिवादी सं0 02 सोना कंवर उर्फ सोनादेवी के पति का नाम संमदरदास उर्फ संमुदरसिंह हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **15.09.2017** को सेर इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/225 दायर दिनांक 02.08.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. कल्याण सिंह पुत्र श्री पन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी पायली तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. मेघदास उर्फ मेघसिंह पुत्र पन्नेसिहं गुरू चन्द्रदास 2. सोना कंवर उर्फ सोना देवी पत्नी समंदरदास उर्फ समुदरसिहं जातिगण राजूपत निवासी वार्ड न. 21 लक्ष्मणगढ तह. लक्ष्मणगढ। 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

दिनांक 15.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 इकबाल अधिवक्ता वादी व श्री गनी मोहम्मद अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद पायली के खसरा सं0 61 रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा में से 1/2 भाग की खातेदारी वादी कल्याणसिंह के नाम घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी सं0 01 मेघदास उर्फ मेघसिंह व प्रतिवादी सं0 02 सोना कंवर उर्फ सोनादेवी के पति का नाम संमदरदास उर्फ संमुदरसिंह हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.09.2017 को राजस्व सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner